अध्याय—4

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां हमारे समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग हैं। लम्बे समय से उनका आर्थिक शोषण होता रहा है और उनके प्रति सामाजिक भेदभाव किया जाता रहा है। यही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति बहुत हद तक उनकी नितान्त दरिद्रता, निरक्षरता और सब प्रकार के पिछड़ेपन का कारण रही है। अनुसूचित जातियों के साथ छूआछूत का बर्ताव होने के कारण उनमें सामाजिक निर्बलता आई है, और दूसरी ओर, अनुसूचित जनजातियों के लोग भौगोलिक दृष्टि से अलग-थलग पड़ गए हैं। फलत: दोनों का ही शेष समाज से वियोजन हो गया है और उन्हें आर्थिक तथा सामाजिक दासता का जीवन बिताना पड़ा है। अ०जा० और अ०ज०जा० की आर्थिक समस्याओं की गम्भीरता का संकेत इस तथ्य से भी मिलता है कि इन दोनों विपन्न वर्गों की संख्या देश की कुल आबादी की लगभग चौथाई है। 1991 की जनगणना से यह प्रकट हुआ कि अ०जा० और अ०जा०जा० की आबादी क्रमश: 13.82 करोड़ और 6.78 करोड़ थी और इस प्रकार, देश की कुल आबादी की तुलना में यह क्रमश 16.48% और 8.08% थी। जनगणना के आंकड़ों से यह भी पता चला कि अ०जा० और अ०ज०जा० की कुल आबादी में 0-6 वर्ष की आयु के बच्चे क्रमश: 19.63% और 20.18% थे। इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी 1/5 आबादी इस कमजोर और अविकसित आयु वर्ग की है। **अत: आयोजनकर्ताओं के लिए यह वांछनीय होगा कि वे विशेष तौर पर इस आयु वर्ग पर अपना ध्यान केन्द्रित करें और शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य आदि के कार्यक्रमों के लिए अधिक पूंजी निवेश करें ताकि वे मुख्य धारा के भारतीयों के रूप में, बाद के वर्षों में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार हो सकें।**

4.2 शहरीकरण की गति तेज होने के बावजूद, भारत का, विशेषकर अ०जा० और अ०ज०जा० का ग्रामीण स्वरूप अभी भी क़ायम है। देश में अ०जा० और अ०ज०जा० की कुल आबादी में से क्रमश: 81.28% और 92.61% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। **इस बात को ध्यान में रखकर कि अ०जा० और अ०ज०जा० की अधिकतर आबादी गांवों में रहती है, जहां गरीबी बहुत ज्यादा है, आयोजन में ज्यादा ज़ोर उनकी आबादी के इस महत्वपूर्ण ग्रामीण वर्ग की ओर दिया जाना चाहिए।**

4.3 1991 की जनगणना के अनुसार, अ०जा० और अ०ज०जा० के क्रमश: 71.11% और 90.03% श्रमिक अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में, क्रमश: 9.83% और 3.85% द्वितीयक क्षेत्र में और क्रमश: 13.06% और 6.12% तृतीयक क्षेत्र में काम करते हैं। कुल आबादी की तुलना में, अ०जा०/अ०ज०जा० द्वारा काम करने की दर ज्यादा थी। तथापि, यह देखते हुए कि अ०जा० और अ०ज०जा० में कितनी निर्धनता है, यह अनिवार्य हो जाता है कि जिन व्यवसायों में वे संलग्न हों उनसे उन्हें पर्याप्त आय हो। व्यावसायिक वर्गीकरण का एक विशिष्ट पक्ष यह है कि अ०जा० और अ०ज०जा० में काम करने वाले मजदूरों में से मुख्यत: अर्थात् क्रमश: 49.06% और 32.69% खेतिहर मज़दूर थे। काम करने वालों के आकड़ों का लिंग के आधार पर विभाजन करने पर एक अन्य दिलचस्प तथ्य सामने आया। यद्यपि अ०जा० और अ०ज०जा० के काम करने वाले मज़दूरों में पुरुषों की दर ज़्यादा (अर्थात् अ०जा० की 51.48% अ०ज०जा० की 54.74%) लेकिन अ०जा०-और अ०ज०जा० की महिला मज़दूरों की दर शेष आबादी की महिला मज़दूरों की दर से बहुत ज़्यादा थी (अ०जा० की 23.98% और अ०ज०जा० की 43.71%)। दोनों में अ०ज०जा० की महिला मज़दूरों की दर स्पष्टत: अधिक थी। इससे इसी तथ्य की पुष्टि होती है कि अ०जा० तथा अ०ज०जा० की महिलाओं को आर्थिक विवशता के कारण अधिक संख्या में काम करना पड़ता है।

4.4 अ०जा० एवं अ०ज०जा० की ग़रीबी का निवारण और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना देश के आर्थिक आयोजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में रहा है। आयोजन के प्राथमिक वर्षों में यह मान्यता रही कि आयोजित प्रयत्नों द्वारा होने वाले आर्थिक विकास का लाभ आबादी के अपेक्षाकृत गरीब वर्ग तक भी उस सिद्धान्त के अनुसार पहुंचेगा जिसे "ट्रिक्विंग डाउन अथवा परकोलेशन सिद्धान्त" कहा जाता है. लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आयोजकों को यह अनुभव हुआ कि जब तक समाज के गरीब वर्गों, विशेषकर अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए विशेष योजना/कार्यक्रम/स्कीम तैयार नहीं की जाएंगी तब तक आर्थिक आयोजन के द्वारा ग़रीबी दूर करने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह भी अनुभव किया गया कि यह आवश्यक नहीं है कि मात्र आर्थिक विकास होने से जनता के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए--विशेषकर अ०जा० एवं अ०ज०जा० का जिनकी संख्या हमारी आबादी के ग़रीब वर्गों में सबसे अधिक है।

जनजातीय उप योजना (टी०एस०पी०)

4.5 आयोजकों की उपरोक्त अनुभूति की पृष्ठ भूमि में, अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास को ध्यान में रखकर, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उपयोजना (टी०एस०पी०) और कार्यनीति तैयार की गई। इस योजना का लक्ष्य मूलत: अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास करना ही नहीं वरन् विभिन्न प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करना भी था। इस समय इस जनजातीय उपयोजना को 18 राज्यों और दो

संघ शासित क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है। ये राज्य हैं : आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपूरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह और दमण एवं दीव। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि अ०ज०जा० की आबादी अधिकतर कुछ पाकिटों (बस्तियों) में केन्द्रित है, उन बस्तियों की पहचान करके जनजातीय उपयोजना को क्रियान्वित करने की कार्यनीति अपनाई गई। इस समय 194 एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और ऐसी प्रत्येक योजना किसी एक ब्लाक या तहसील के ऐसे आस-पास के भौगोलिक क्षेत्र में है जिसमें आधी से ज़्यादा आबादी अ०ज०जा० की है। इसके अतिरिक्त, देश में ऐसे 250 सशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा) पाकेट चुने गए हैं जिनमें एक क्षेत्र की आस-पास की आबादी 10,000 है जिसमें 50% जनजातियां हैं। आदिम जनजाति समूहों (पीटीजी) के सर्वांगीण विकास के प्रयोजन के लिए ऐसे 75 समूहों की पहचान की गई है।

4.6 जनजातीय उपयोजना (टी०एस०पी०) की कार्य नीति अपनाने का एक निश्चित लाभ यह हुआ है कि जिन योजनाओं और कार्यक्रमों से अनन्य रूप से जनजातियों को लाभ होता है उन पर खर्च किए जाने के लिए अलग से वित्तीय प्रावधान सुनिश्चत करना सम्भव हो गया है। वित्तीय ससाधनों के अनुसार योजना का आकार बढ़ाने के लिए निधियों के निर्धारण ने भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। इस दिशा में हुई उपलब्धियों की अनुभूति इस तथ्य से हो सकती है कि जहां पांचवीं योजना के दौरान जनजातीय उप योजना (टी०एस०पी०) को कार्यान्वित करने वाले राज्यों की जनजातीय उपयोजना (टी०एस०पी०) का आकार 759.33 करोड़ रु० था, जो राज्य की कुल योजना का 4.29% था, वहां 1992-93 में उसका आकार बढ़कर 3019.74 करोड़ रु० (लगभग चार गुना) हो गया और वह कुल राज्य योजना के कुल आकार का 12.27% है। निम्नलिखित सारणी—1 में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और उससे आगे राज्य योजनाओं में से जनजातीय उपयोजनाओं को दी गई निधियां दर्शायी गई हैं।

सारणी—1

राज्य योजना से जनजातीय उपयोजना को दी गई निधियां

(करोड़ रु० में)

योजना अवधि	राज्य योजना	जनजातीय उपयोजना	प्रतिशत
पांचवीं योजना	17692.48	759.33	4.29
छठी योजना	42390.60	3720.36	8.78
सातवीं योजना	73953.35	7076.81	9.57
1990-91	20818.64	1991.98	9.57
1991-92	24377.93	2504.64	10.27
1992-93	24611.65	3019.74	12.27
1993.94	30375.90	2887.82	9.51

स्रोत : कल्याण मंत्रालय की 1994-95 की वार्षिक रिपोर्ट

4.7 उपरोक्त सारणी से यह पता चलता है कि पांचवीं योजना से वित्तीय आवंटन में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष तक जनजातीय उपयोजना में निधि का प्रतिशत बढ़ा है। तथापि, आयोग को इस बात से खेद हुआ है कि 1993-94 के दौरान न केवल वित्तीय आवंटन की दृष्टि से जनजातीय उपयोजना का आकार कम कर दिया गया वरन् राज्य योजना से दी गई निधि का प्रतिशत भी पिछले वर्षों की अपेक्षा बहुत कम हो गया। आयोग के विचार में यह स्थिति वांछनीय नहीं है, विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि 1993-94 में राज्य योजना का आकार 1992-93 की वार्षिक योजना की तुलना में बड़ा था। आयोग ने अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट में यह सिफ़ारिश की थी "सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की जनजातीय उपयोजना टी०एस०पी० और विशेष संघटक योजना के लिए आयोजना परिव्यय के विभाज्य घटक में इस प्रकार प्रावधान करना चाहिए कि यह प्रावधान न केवल अ०जा० एवं अ०ज०जा० की जनसंख्या के अनुपात में हो बल्कि उनके पिछड़ेपन और विगत वर्षों में विकास लाभों से इनके वंचित रहने को ध्यान में रखते हुए इनकी जनसंख्या की प्रतिशतता की तुलना में उच्चतर अनुपात में हो।" आयोग अपनी पहली सिफ़ारिश को दोहराता है और उसका विचार है कि पिछले वर्ष की उपलब्धि का स्तर न केवल बनाए रखा जाना चाहिए बल्कि बाद की योजनाओं में इसे बढ़ाया जाए। कल्याण मंत्रालय देश में जनजातियों के विकास कार्य का केन्द्र बिन्दु है। नॉडल मंत्रालय होने के कारण उसे राज्यों/संघ क्षेत्र प्रशासनों से आग्रह करना चाहिए कि वे टी०एस०पी० के अन्तर्गत किए जाने वाले वित्तीय आवंटन में वृद्धि करें।

4.8 1993-94 के दौरान राज्य योजनाओं से टी०एस०पी० को दी गई निधियों का राज्य-वार विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :

सारणी—2

1993-94 के दौरान राज्य योजना से टी०एस०पी० को दी गई निधियां

क्र. सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अ.ज.जा. आबादी का %	राज्य योजना	जनजातीय (करोड़ रु. में) उपयोजना	प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	6.31	1851.00	86.447	4.67
2.	असम	12.82	580.18	102.85	17.73
3.	बिहार	7.66	2315.00	680.21	29.38
4.	गुजरात	14.92	2137.00	217.77	10.19
5.	हिमाचल प्रदेश	4.22	550.00	49.50	9.00
6.	जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं	880.00	49.92	5.67
7.	कर्नाटक	4.26	3025.00	39.94	1.32
8.	केरल	1.10	1000.00	10.37	1.04
9.	मध्य प्रदेश	23.27	2400.00	535.05	22.29
10.	महाराष्ट्र	9.27	3804.00	265.00	6.97

सारणी—2 (जारी)

क्र. सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अ.ज.ज. आबादी का %	राज्य योजना	जनजातीय (करोड़ रु. में) उपयोजना	प्रतिशत
11.	मणिपुर	34.41	235.13	100.73	42.84
12.	उड़ीसा	22.21	1450.00	423.66	29.22
13.	राजस्थान	12.44	1700.00	143.96	8.47
14.	सिक्किम	22.36	105.88	17.21	16.25
15.	तमिलनाडु	1.03	2101.00	22.48	1.07
16.	त्रिपुरा	30.95	310.00	114.17	36.82
17.	उत्तर प्रदेश	0.21	4200.50	2.03	0.05
18.	पश्चिम बंगाल	5.59	1550.00	75.33	4.86
19.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	9.54	156.50	22.60	14.44
20.	दमण एवं दीव	11.54	24.70	1.70	6.88

स्रोत : कल्याण मंत्रालय की 1994-95 की रिपोर्ट

4.9 उपरोक्त सारणी से यह प्रकट होता है कि अनेक राज्य, उदाहरणार्थ आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा दमण एवं दीव संघ शासित क्षेत्र ने 1993-94 के दौरान टी०एस०पी० के अन्तर्गत जो निधियां निर्दिष्ट की थीं वे उन राज्यों की कुल आबादी में जनजातियों के अनुपात से कम थी। इस सम्बन्ध में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम राज्य और दमण एवं दीव संघ शासित क्षेत्र ध्यान देने योग्य हैं। **आयोग की सिफारिश है कि जो राज्य सरकारें 1993-94 की अवधि में टी०एस०पी० के अन्तर्गत अपने-अपने परिव्यय में वृद्धि नहीं कर सके हैं वे बाद की योजना अवधियों में इस स्थिति को सुधार लें।**

4.10 विशेष केन्द्रीय सहायता (एस०सी०ए०) टी०एस०पी० के लिए निधि का एक अतिरिक्त स्रोत है। यह सहायता भारत सरकार के कल्याण मन्त्रालय द्वारा टी०एस०पी० का कार्यान्वयन करने वाले राज्यों को उपलब्ध कराई जाती है। 1993-94 के दौरान एस०सी०ए० के अन्तर्गत 29,484 लाख रु० की राशि राज्य सरकारों को दी गई।

4.11 निम्नलिखित विवरण में 1992-93 और 1993-94 के दौरान एस०सी०ए० के अन्तर्गत टी०एस०पी० के लिए दी गई निधियां दर्शायी गई हैं :

सारणी—3

(लाख रु० में)

क्र०सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	दी गई राशि	
		1992-93	1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	1529.34	1593.22
2.	असम	1077.61	1087.57
3.	बिहार	3175.25	3497.39
4.	गुजरात	1855.84	2234.77

सारणी—3(जारी)

क्र०सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	दी गई राशि	
		1992-93	1993-94
5.	हिमाचल प्रदेश	403.39	755.03
6.	जम्मू और कश्मीर	296.14	518.60
7.	कर्नाटक	327.42	439.76
8.	केरल	207.23	167.25
9.	मध्य प्रदेश	6785.01	8117.65
10.	महाराष्ट्र	1815.21	2234.35
11.	मणिपुर	383.41	417.12
12.	उड़ीसा	3378.03	3603.23
13.	राजस्थान	1679.46	2664.68
14.	सिक्किम	60.93	73.67
15.	तमिलनाडु	270.72	214.05
16.	त्रिपुरा	414.94	372.37
17.	उत्तर प्रदेश	58.40	69.22
18.	पश्चिम बंगाल	1171.67	1319.06
19.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	81.13	77.22
20.	दमण एवं दीव	23.87	28.29
	जोड़ :	24995.00	29484.50

स्रोत : कल्याण मंत्रालय

4.12 विशेष केन्द्रीय सहायता (एस०सी०ए०) के अन्तर्गत उपलब्ध निधि के आकार की दृष्टि से और इस दृष्टि से भी कि इसका उपयोग आय उत्पादक योजनाओं के लिए किया जाना है, जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए इसका विशेष महत्व है। आयोग को आशा है कि राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा इस सहायता का उपयोग सावधानी से ऐसे क्षेत्रों में किया जाएगा जिससे आय उत्पादन की दृष्टि से योजनाओं की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। कल्याण मंत्रालय द्वारा निधियों के उपयोग और भौतिक उपलब्धियों का पहले से ही परिवीक्षण (मॉनीटरिंग) किया जा रहा है और आयोग के विचार में यह कार्य प्रशंसनीय है।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना

4.13 अ०जा० के लिए विशेष संघटक योजना का कार्यान्वयन आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों और चण्डीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी के संघ शासित क्षेत्रों में किया जा रहा है। जनजातीय उपयोग (टी०एस०पी०) की भांति विशेष संघटक योजना (एस०सी०पी०) के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना काल के आरम्भ से ही आवंटन में सतत् वृद्धि हो रही है।

छठी योजना के समय से एस०सी०पी० के अन्तर्गत किए गए परिव्यय प्रावधान और व्यय का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

सारणी—4

(करोड़ रुपए में)

योजना अवधि	राज्य योजना परिव्यय	एस.सी.पी. परिव्यय	कालम 3 का कालम 2 से %	वास्तविक व्यय का कालम 2 से %	कालम 5
छठी योजना	47149.89	3614.66	7.66	2978.70	6.32
पांचवीं योजना	89322.89	7385.42	8.27	6916.62	7.74
1990-91	23225.49	2377.82	10.23	2107.22	9.07
1991-92	28041.04	3066.37	10.93	2936.45	10.47
1992-93	30684.47	3090.36	10.07	2892.89	9.43
1993-94	32728.54	3487.89	10.65	2887.95	8.82

स्रोत : कल्याण मंत्रालय की 1994-95 की वार्षिक रिपोर्ट

4.14 उपरोक्त सारणी से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकाश में आता है कि जहां एस०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय संसाधनों के रूप में और राज्य की कुल योजना के प्रतिशत की दृष्टि से, परिव्यय का आकार बढ़ा है वहीं वास्तविक व्यय एस०सी०पी० के अन्तर्गत निर्दिष्ट परिव्यय से कम रहा है। 1991-92 के बाद से वास्तविक व्यय में निरन्तर कमी होने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। आयोग को यह देख कर चिन्ता हुई है कि जहां राज्य योजना में पिछले वर्षों के दौरान निरन्तर वृद्धि हुई है वहीं राज्य योजना के अन्तर्गत एस०सी०पी० के लिए आवंटन का प्रतिशत वांछित स्तर तक नहीं पहुंचा है। आयोग का विचार है कि अ०जा० के हित में न केवल विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत परिव्यय में वृद्धि की जानी चाहिए वरन् यह भी आवश्यक है कि निधियों का उपयोग करने की दिशा में भी प्रयत्न किए जाएं। यह ज्ञात हुआ है कि कल्याण मंत्रालय इस बात से अवगत है। आयोग की इच्छा है कि इस स्थिति का निरन्तर परिवीक्षण किया जाए और शीघ्र ही परिव्यय और व्यय को इच्छित स्तर तक लाया जाए।

4.15 1993-94 के दौरान विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत किए गए राज्यवार परिव्यय प्रावधान और व्यय का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

सारणी—5

(करोड़ रु० में)

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	अ० जा० की जनसंख्या का %	राज्य योजना परिव्यय	एस०सी०पी० परिव्यय	कालम 5 का कालम 4 से %	व्यय	कालम 7 का कालम 4 से %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	15.93	2075.55	207.65	10.00	215.00	10.35
2.	असम	7.40	956.16	63.84	6.68	49.50	5.18
3.	बिहार	14.55	700.00	104.22	14.89	71.77	10.25
4.	गोवा	2.08	170.00	2.20	1.29	1.65	0.97
5.	गुजरात	7.41	2137.00	80.43	3.76	—	—
6.	हरियाणा	19.75	920.00	125.33	13.62	99.35	10.80
7.	हिमाचल प्रदेश	25.34	550.00	68.75	12.50	58.42	10.62
8.	जम्मू और कश्मीर	—	880.00	70.52	8.01	—	—
9.	कर्नाटक	16.38	3025.00	260.69	8.62	258.94	8.56
10.	केरल	9.92	1003.00	98.06	9.78	96.48	9.62
11.	मध्य प्रदेश	14.55	2400.00	310.78	12.95	218.27	9.09
12.	महाराष्ट्र	11.09	3804.00	196.60	5.17	195.60	5.14
13.	मणिपुर	2.02	235.13	2.82	1.20	—	—
14.	उड़ीसा	16.20	1450.00	214.52	14.79	179.19*	12.36
15.	पंजाब	28.31	1250.00	195.17	15.61	90.30	7.22
16.	राजस्थान	17.29	1700.00	274.35	16.14	273.23	16.07
17.	सिक्किम	5.93	100.12	5.96	5.95	—	—
18.	तमिलनाडु	19.18	2101.00	353.61	16.83	335.28	15.96
19.	त्रिपुरा	16.36	208.58	38.74	18.57	29.80	14.29
20.	उत्तर प्रदेश	21.05	4250.00	456.91	10.75	333.20	7.84
21.	पश्चिम बंगाल	23.62	1550.00	221.10	14.26	153.97*	9.93
22.	चण्डीगढ़	16.51	80.00	2.34	2.92	2.34	2.92
23.	दिल्ली	19.05	1075.00	95.75	8.90	81.60	7.59
24.	पांडिचेरी	16.25	108.00	17.55	16.25	16.33	15.12

*प्रत्याशित

स्रोत : 1. अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए संघीय प्राथमिक जनगणना सार, 1993 का पत्र-I
2. कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1994-95

4.16 उपरोक्त सारणी से यह जाहिर है कि अधिकांश राज्य और संघ शासित क्षेत्र एस०सी०पी० के अन्तर्गत निर्दिष्ट राशि का उपयोग नहीं कर पाए। जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्थिति असंतोषजनक है उनके नाम ये हैं—आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चण्डीगढ़ और दिल्ली।

4.17 विशेष केन्द्रीय सहायता अ०जा० के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की निधियों का एक अन्य स्रोत है। 1993-94 की अवधि के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता का कार्यान्वयन करने के लिए 27211.76 लाख रुपये की राशि राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को दी गई। कल्याण मंत्रालय ने परिवारोन्मुख और आय सृजित करने वाली योजनाओं के प्रयोजन के लिए एस०सी०ए० का उपयोग किए जाने के विषय में संशोधित मार्ग-निर्देश जारी किए हैं। कल्याण मंत्रालय द्वारा एस०सी०ए० के कार्यान्वयन की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। 1993-94 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता (एस०सी०ए०) का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

सारणी—6

1993-94 के दौरान एस०सी०ए० के रूप में राज्यों को दी गई धनराशि

(लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दी गई एस.सी.ए. की राशि
1.	आंध्र प्रदेश	2416.06
2.	असम	220.51
3	बिहार	2327.21
4.	गुजरात	796.82
5.	गोवा	2.86
6.	हरियाणा	424.53
7.	हिमाचल प्रदेश	699.54
8.	जम्मू और कश्मीर	76.33
9.	केरल	402.84
10.	कर्नाटक	1282.71
11.	मध्य प्रदेश	2803.81
12.	महाराष्ट्र	1562.79
13.	मणिपुर	5.56
14.	उड़ीसा	1075.66
15.	पंजाब	875.92
16.	राजस्थान	1829.89
17.	सिक्किम	3.06
18.	त्रिपुरा	58.85
19.	तमिलनाडु	1879.11
20.	उत्तर प्रदेश	5933.29
21.	पश्चिम बंगाल	2322.75
22.	चंडीगढ़	12.39
23.	दिल्ली	184.76
24.	पांडिचेरी	14.81
	जोड़ :	27211.96

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 1994-95, कल्याण मंत्रालय

पिछड़ा वर्ग सेक्टर

4.18 पिछड़ा वर्ग सेक्टर के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए अनेक केन्द्रीय सेक्टर की योजनाएं और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। जनजातीय विकास के सन्दर्भ में, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को अनुदान भी दिए जाते हैं। 1993-94 के दौरान कल्याण मंत्रालय के जनजातीय विकास खण्ड की केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्र द्वारा प्रायोजित टी०एस०पी० के लिए रखे गए कुल परिव्यय और उन पर हुए कुल व्यय को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :

सारणी—7

1993-94 के दौरान केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत परिव्यय और व्यय

(लाख रु० में)

क्र०सं	योजना	वार्षिक योजना-1993-94	
		परिव्यय	व्यय
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता	29485.00	29485.00
2.	अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान	7500.00	7080.00
3.	अ०ज०जा० की लड़कियों के लिए छात्रावास	264.00	248.63
4.	अ०ज०जा० के लड़कों के लिए छात्रावास	270.00	254.29
5.	अ०ज०जा० के लिए आश्रम स्कूल	252.00	252.00
6.	स्वैच्छिक संगठन	403.00	379.54
7.	कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसरों के लिए	125.00	125.00
8.	व्यावसायिक प्रशिक्षण	190.00	178.94
9.	राज्यों के टी०डी०सी०सी० को सहायता अनुदान	350.00	350.00
10.	ट्राइफेड में पूंजी निवेश	800.00	600.00
11.	ट्राइफेड को सहायता अनुदान	100.00	75.00
12.	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन	50.00	37.00
13.	अनुसंधान और प्रशिक्षण		
	(क) टी.आर.आई. को अनुदान	120.00	120.00
	(ख) परियोजनाओं के लिए अनुदान	16.00	16.00

स्रोत : कल्याण मंत्रालय

4.19 केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना 1992-93 में शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत आश्रम स्कूलों/आवासीय स्कूलों के भवनों का उपयोग जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसाय प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य जनजातीय युवाओं के पारंपरिक कौशल में वृद्धि करना है जिसके लिए प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को चार महीने तक अपनी पसंद के तीन व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

4.20 अनेक जनजातीय परिवार अपने जीवन निर्वाह के लिए छोटे-मोटे वन्य उत्पादों (एम०एफ०पी०) के संग्रह और बिक्री पर निर्भर करते हैं। निजी व्यापारी, अपनी स्थिति अच्छी होने के कारण, इस परिस्थिति का लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। छोटे वन्य उत्पादों के संग्रह और बिक्री के व्यापार में निजी व्यापारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए नौ राज्य सरकारों ने जनजातीय विकास सहकारी निगमों की स्थापना की है। 1993-94 तक कल्याण मंत्रालय ने इन निगमों को 350 लाख रु० की राशि अनुदान के रूप में दी।

4.21 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लि० (ट्राइफेड) ने 1993-94 से काम शुरू किया और, इस प्रकार, उसने अपने छः वर्ष पूरे कर लिए हैं। उसका क्रियाकलाप मुख्यत: छोटे वन्य उत्पादों (एम०एफ०पी०) और कृषि उत्पादों के अधिशेष की अधिप्राप्ति और बिक्री करना है। 1993-94 के दौरान ट्राइफेड द्वारा किए गए कार्य का विवरण निम्नलिखित विवरण में प्रदर्शित है :

सारणी—8

1993-94 के दौरान ट्राइफेड द्वारा किया गया कार्य

(लाख रु० में)

क्र०सं०	विवरण	अधिप्राप्ति	बिक्री
1.	छोटे वन्य उत्पाद	882.97	708.18
2.	कृषि उत्पाद का अधिशेष	4139.04	2029.35
3.	निर्यात	112.60	831.79
4.	विविध (वस्त्र, सूत साड़ियां आदि)	49.87	4.49
5.	एन०ओ०सी० (अप्रत्यक्ष आयात)	1207.46	1207.46

स्रोत : छठी वार्षिक रिपोर्ट 1993-94, ट्राइफेड

4.22 आयोग का विचार है कि अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के सन्दर्भ में ट्राइफेड की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। आयोग को यह भी ज्ञात है कि ट्राइफेड को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। अत: ट्राइफेड की आर्थिक स्थिति को अधिक मज़बूत करने की आवश्यकता है। भारत सरकार फेडरेशन की हिस्सा पूंजी में अपना निवेश बढ़ाने पर विचार करे।

अनुसूचित जातियों (पिछड़ा वर्ग सेक्टर) के लिए केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

4.23 निम्नलिखित सारणी में 1993-94 के दौरान कल्याण मंत्रालय की अनुसूचित जातियों के लिए केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए परिव्यय के प्रावधान और वास्तविक व्यय का विवरण दिया गया है :

सारणी—9

(लाख रु० में)

क्र०सं०	योजना	वार्षिक योजना 1993-94	
		परिव्यय	व्यय
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता	247.00	272.12
2.	अ०जा० विकास निगमों की सहायता	22.00	29.34
3.	राष्ट्रीय अ०जा०/अ०ज०जा० वित्त एवं विकास निगम	21.00	21.00
4.	सफाई कर्मचारियों ओर उनके आश्रितों की उन्मुक्ति और पुनर्वास	73.20	70.97
5.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	72.40	74.79
6.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां	14.00	5.61
7.	अ०जा० की लड़कियों के लिए छात्रावास	6.00	6.00
8.	अ०जा० के लड़कों के लिए छात्रावास	6.00	6.50
9.	अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए पुस्तक बैंक	5.60	3.33
10.	शिक्षण एवं सम्बद्ध योजना	2.00	1.73
11.	अत्याचार निवारण अधिनियम और अ०जा० एवं अ०ज०जा०	6.50	7.06
12.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	6.50	7.50
13.	अ०जा० की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम	6.00	—
14.	योग्यता में वृद्धि	0.55	0.15
15.	डा० अम्बेडकर शताब्दी परियोजनाएं	4.00	4.00
16.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	0.80	0.17

स्रोत : कल्याण मंत्रालय

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

4.24 उपरोक्त सारणी से यह पता चलता है कि अनेक योजनाओं का उद्देश्य अ०जा० एवं अ०ज०जा०का शैक्षिक विकास करना है। अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगमों को सहायता देने की योजनाएं और राष्ट्रीय

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एन०एस०एफ०डी०सी०) की स्थापना अ०जा० और अ०ज०जा० के आर्थिक विकास के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपाय हैं। अ०जा० और अ०ज०जा० वित्त और विकास निगम निम्नलिखित 19 राज्यों और 4 संघ शासित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं: आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दमण एवं दीव। केन्द्रीय सरकार इन निगमों की शेयर पूंजी में 49% तक निवेश करके उनकी सहायता करती है। ये न केवल आयोजक और गारन्टीकर्ता का काम करते हैं वरन् वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये निगम लक्षित परिवारों की पहचान करते हैं उन्हें आर्थिक विकास योजनाएं अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और, साथ ही, वित्तीय संस्थाओं से ऋण सहायता प्राप्त करने के मामलों को प्रायोजित करते हैं। वे लाभार्थियों को शेयर पूंजी के रूप में दी जाने वाली सहायता में से रियायती दर के ब्याज पर सीमांत धन कर्ज के रूप में देते हैं तथा विशेष केन्द्रीय सहायता में से उपदान देते हैं।

4.25 1993-94 के दौरान केन्द्र के अंश के रूप में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 29.35 करोड़ रुपए दिए गए जिसका विवरण निम्नलिखित है :

(लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1993-94
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	875.52
2.	असम	22.10
3.	बिहार	113.52
4.	गुजरात	96.07
5.	हरियाणा	164.31
6.	हिमाचल प्रदेश	53.43
7.	जम्मू और कश्मीर	61.00
8.	कर्नाटक	212.35
9.	केरल	124.20
10.	मध्य प्रदेश	57.65
11.	महाराष्ट्र	138.16
12.	उड़ीसा	59.22
13.	पंजाब	14.13
14.	राजस्थान	18.60
15	तमिलनाडु	318.50
16.	त्रिपुरा	9.60
17.	पश्चिम बंगाल	206.56
18.	उत्तर प्रदेश	238.77
19.	चंडीगढ़	4.80
20.	दिल्ली	57.65
21.	पांडिचेरी	21.13
22.	गोवा	49.96
23.	दमण एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली	17.75
	जोड़	2934.66

स्रोत : कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1994-95

4.26 1993-94 के दौरान, सारे देश में निगम की योजनाओं के अंतर्गत 7.54 लाख लाभार्थियों को लाया गया। निगमों की योजनाएं बैंकों से वित्त की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं। अत: यह वांछनीय है कि इस संबंध में इस समय उठ रही समस्याओं का शीघ्र ही समाधान किया जाए।

4.27 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एन०एस०एफ०डी०सी०) की सरकारी कंपनी के रूप में स्थापना 1989 में की गई थी और इस समय इसकी प्राधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी 125 करोड़ रु० है। अ०जा० एवं अ०ज०जा० के आर्थिक विकास में यह निगम उपयोगी भूमिका निभा रहा है। एन०एस०एफ०डी०सी० वित्त योजनाएं राज्य स्तर के अ०जा० एवं अ०ज०जा० वित्त एवं विकास निगमों तथा लक्षित समूहों के आर्थिक विकास के काम में लगी अन्य एजेंसियों से अंतर्बद्ध प्रबंध करके योजनाओं के लिए वित्त प्रदान करता है। 1989 में स्थापित होने के बाद से 31-3-94 तक निगम ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1,68,826 अ०जा० एवं अ०ज०जा० व्यक्तियों को सहायता दी है जिस पर 43016.85 लाख रुपये की राशि व्यय हुई है। इन योजनाओं में एन०एस०एफ०डी०सी० का हिस्सा 21302.19 लाख रुपये था जो योजनाओं की कुल लागत का 49.52% था। एन०एस०एफ०डी०सी० के वित्त-पोषण का एक बड़ा अंश उद्योग और सेवा सेक्टर की योजनाओं के लिए हुआ जो अ०जा० एवं अ०ज०जा० के प्रमुख श्रमिकों के व्यावसायिक स्तर में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है क्योंकि वित्त-पोषण इस समय आवश्यकता से अधिक प्राथमिक सेक्टर के पक्ष में है। यह उल्लेखनीय है कि एन०एस०एफ०डी०सी० की निधि से चलाई जाने वाली योजनाओं के लाभार्थियों में भारी संख्या अनुसूचित जातियों की है (86%) जबकि उनमें अनुसूचित जातियों का प्रतिशत केवल 14 है। आयोग की सिफारिश है कि भविष्य में राज्य स्तर की एजेंसियों के साथ तालमेल करके एन०एस०एफ०डी०सी० को जनजातियों के और अधिक लाभार्थियों की पहचान करनी चाहिए। एन०एस०एफ०डी०सी० की निधियों का प्रति व्यक्ति निवेश आंध्र प्रदेश में 5,000/- रु तक था जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 75,000/- रु० तक था। पूरे देश में प्रति व्यक्ति निवेश 13,000/- रु० हुआ। निम्नलिखित सारणी में उन व्यक्तियों की राज्यवार संख्या दी गई है जिन्हें 1989 से 31-3-94 तक एन०एस०एफ०डी०सी० द्वारा सहायता दी गई।

एन०एस०एफ०डी०सी द्वारा सहायता प्राप्त राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार लाभार्थी (31-3-94 तक)

(लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	योजनाओं की कुल लागत	एन०एस०एफ०डी०सी० का भाग			लाभार्थियों की संख्या			
			आवधिक ऋण	बीज पूंजी	कुल निधियां	आ०जा	अ०ज०जा०	योग	प्रति लाभार्थी एन०एस० एफ०डी०सी० का निवेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	7901.16	4025.09	25.00	4050.09	75986	1096	77082	0.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.33	2.40	0.00	2.40	—	7	7	0.34
3.	असम	1027.96	613.38	0.00	613.38	4094	596	4690	0.13
4.	बिहार	2641.89	1544.00	0.00	1544.00	5279	1902	7181	0.22
5.	गोवा	32.59	16.79	0.00	16.79	28	—	28	0.60
6.	गुजरात	1621.01	912.95	0.00	912.95	2210	500	2710	0.34
7.	हरियाणा	932.50	568.31	8.00	576.31	1020	—	1020	0.57
8.	हिमाचल प्रदेश	642.68	235.72	63.29	299.01	330	74	404	0.74
9.	जम्मू व कश्मीर	263.15	184.20	0.00	184.20	375	55	430	0.43
10.	कर्नाटक	3777.99	1344.84	188.44	1533.28	9374	2383	11757	0.13
11.	केरल	1660.25	832.72	0.00	832.72	1810	859	2469	0.34
12.	मध्य प्रदेश	4118.60	1928.92	0.00	1928.92	4876	7764	12640	0.15
13.	महाराष्ट्र	2416.71	1005.20	46.10	1051.30	3441	662	4103	0.26
14.	मणिपुर	395.06	211.30	0.00	211.30	8	485	493	0.43
15.	मिजोरम	533.67	310.62	4.10	314.72	—	1190	1190	0.26
16.	मेघालय	12.72	7.26	0.00	7.26	—	23	23	0.32
17.	नागालैंड	397.28	165.11	2.36	167.47	—	602	602	0.28
18.	उड़ीसा	2186.38	1200.56	4.29	1204.85	2078	2734	4812	0.25
19.	पंजाब	1945.56	1161.55	9.60	1171.15	2068	—	2068	0.57
20.	राजस्थान	841.30	417.85	0.94	418.79	2476	112	2588	0.16
21.	तमिलनाडु	4763.98	1196.15	117.44	1313.59	12475	—	12475	0.11
22.	त्रिपुरा	382.61	209.94	0.00	209.94	227	272	499	0.42
23.	उत्तर प्रदेश	3798.86	2387.39	0.00	2387.39	16739	2290	19029	0.13
24.	पश्चिम बंगाल	1166.28	636.05	0.92	636.97	3927	980	4907	0.13
25.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	23.21	13.45	0.00	13.45	—	18	18	0.75
26.	चंडीगढ़	111.65	67.38	0.00	67.38	165	—	165	0.41
27.	दिल्ली	1081.03	557.34	9.38	566.72	1257	—	1257	0.45
28.	पांडिचेरी	45.35	30.18	0.00	30.18	95	—	95	0.32
	जोड़	44625.76	21786.65	479.86	22266.51	150338	24404	174742	0.13

नोट : मंजूरी के बाद 22 योजनाओं को समाप्त कर दिया गया इन योजनाओं से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित हैं :
योजनाओं की लागत 1608.91 लाख रु० एन०एस०एफ०डी०सी० का भाग 964.32 लाख रु०, लाभार्थियों की संख्या 5916।

स्रोत : एन०एस०एफ०डी०सी०, नई दिल्ली।

4.28 मैला ढोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना 1992 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत पहचान करने और पुनर्वास करने के दो विशिष्ट क्षेत्रों में काम किया जाता है। कल्याण मंत्रालय ने अपनी 1994-95 की वार्षिक रिपोर्ट में यह पाया कि बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्यों में मैला ढोने वालों का सर्वेक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अन्य राज्यों में किए गए सर्वेक्षण में भी अनेक कमियां हैं। यह शिकायत है कि अनेक इलाकों और परिवारों को सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया है। पहचान करना इस योजना का महत्वपूर्ण पक्ष है। इस बात को ध्यान में रखकर मंत्रालय को यह काम, कम से कम प्रयोग के रूप में, कुछ प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को सौंप देना चाहिए। आयोग का विचार है कि यद्यपि योजना का आधार स्पष्ट और प्रशंसनीय है, सभी मैला ढोने वाले परिवारों को वैकल्पिक व्यवसायों में खपाने के उद्देश्य से इसका कार्यान्वयन कठिन कार्य है जिसके लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों दोनों के ही द्वारा संयुक्त और यथार्थ प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। 1993-94 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 70.97 करोड़ रु० की राशि दी गई है और 22,115 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया तथा 41,950 व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया।

केन्द्रीय मंत्रालयों की विशेष संघटक योजनाएं और जनजातीय उपयोजनाएं

4.29 1993-94 के दौरान कुछ केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों ने विशेष संघटक योजना और जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत निधियों का परिमाण निर्धारित कर दिया है। विशेष संघटक योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के विकास के लिए श्रम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग), विज्ञान एवं टैक्नालॉजी (बायो टैक्नालॉजी विभाग), उद्योग (कॉयर बोर्ड और विकास आयुक्त, एस०एस०आई० एवं ए०आर०आई०), वस्त्र (हथकरघा विकास आयुक्त और हस्तकला विकास आयुक्त), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाणिज्य और ग्रामीण विकास मंत्रालयों और उर्वरक विभाग ने अनुसूचित जातियों के विकास के लिए निधियां निर्दिष्ट की हैं। कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने भी अपने विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत अ०जा० एवं आ०ज०जा० को लाभ पहुंचाने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की हैं। सभी फसल-उन्मुख कार्यक्रमों में अ०जा० एवं अ०ज०जा० को दी जाने वाली सहायता की मात्रा में वृद्धि करने के प्रयत्न किए गए हैं। विभाग के क्षेत्र विकास कार्यक्रम में ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जा रही है जहां अ०जा० और अ०ज०जा० की भूमि का क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक है। जिन कार्यक्रमों का लक्ष्य आधारभूत सुविधाओं को दृढ़ बनाना है उनमें भी ऐसे ही प्रयत्न किए गए हैं। टैक्नालॉजी के त्वरित हस्तांतरण के प्रयोजन के लिए, उन क्षेत्रों में मक्का और बाजरा व ज्वार की फसलों के प्रदर्शन करने का काम शुरू किया गया है जहां अ०जा० और अ०ज०जा० के किसानों की आबादी केन्द्रित है। 1993-94 के दौरान कुल योजना परिव्यय में से अ०जा० और अ०ज०जा० को हुआ लाभ 13% आंका गया है।

4.30 खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय ने उद्यमवृत्ति को विकसित करने, फल और सब्जियों के संसाधन यूनिटों को स्थापित करने, सूअर के मांस के संसाधन, भेड़, बकरी और खरगोश के मांस के संसाधन, मुर्गी और अंडे के ससाधन को विकसित करने, मांस संसाधन के लिए विपणन और परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने और मांस उद्योग में काम करने वालों को प्रशिक्षित करने आदि क्षेत्रों से संबंधित योजनाएं तैयार की हैं। इन सभी योजनाओं के लिए क्षेत्रों, लाभार्थियों की पहचान करने और वित्तीय साधन उपलब्ध कराने आदि मामलों में अ०जा० और अ०ज०जा० की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

4.31 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अ०जा० और अ०ज०जा० को स्वाथ्य सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता की ओर विशेष ध्यान दिया है। सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में एस०सी०पी० के अंतर्गत निधियां निर्दिष्ट की गई हैं। 1993-94 के दौरान, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेक्टर के अंतर्गत अनुमोदित परिव्यय में से लगभग 5.84% एस०सी०पी० के अंतर्गत आबंटित किया गया।

4.32 रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग ने अ०जा० और अ०ज०जा० के आर्थिक विकास के लिए पहल की है। उसने अपने प्रशासनिक नियंत्रण में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों से अ०जा० के व्यक्तियों को उर्वरकों के वैज्ञानिक प्रयोग में शिक्षित करने के कार्यक्रम तैयार करने, जनजातीय क्षेत्रों में विक्रेताओं/खुदरा व्यापारियों का जाल बिछाने और जनजातीय क्षेत्रों में छोटे पैकों में उर्वरक सप्लाई करने को कहा है। 1978 में विभाग ने यह अनुदेश भी जारी किए थे कि उर्वरक के विक्रेताओं की नियुक्ति में अ०जा० एवं अ०ज०जा० को 25% आरक्षण दिया जाए। अ०जा० एवं अ०ज०जा० को अन्य रियायतें भी दी जाती हैं जिनमें प्रतिभूति जमा करने से छूट/रियायत, तेज गति वाली सामग्री की आपूर्ति में अधिमान्यता, विक्रेता के लाभ की गुंजाइश बढ़ाना और उर्वरकों को उठाने-रखने का मुफ्त प्रशिक्षण देना शामिल हैं।

4.33 वस्त्र मंत्रालय में इस्तशिल्प विकास आयुक्त ने एक समूह के हस्तशिल्पियों को एकाधिक सेवाएं प्रदन करने के लिए शिल्प विकास केन्द्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं में कच्चे माल की सप्लाई, डिजाइन बनाना, अधिप्राप्ति और विपणन शामिल हैं। 1993-94 में अ०जा० के लिए दो और अ०ज०जा० के लिए एक शिल्प विकास केन्द्र के लिए मंजूरी दी गई। हथकरघा सेक्टर में, केन्द्र द्वारा प्रायोजित और केन्द्रीय सेक्टर की जिन योजनाओं की पहचान की गई थी उनके लिए रखे गए कुल परिव्यय में से अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए क्रमश: 22% और 11 % निधियां निर्दिष्ट की गई हैं। एस०सी०पी और टी०एस०पी० के लिए जिन योजनाओं के अंतर्गत निधियां आबंटित की जाती हैं उनमें कल्याण पैकेज योजना, हथकरघा विकास केन्द्र सहित परियोजना पैकेज योजना, काम के लिए शैड के साथ आवास बनाने की और निराश्रित कामगारों को अतिरिक्त धन (मार्जिन मनी) देने की योजना है।

4.34 वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत रबड़ बोर्ड और काफी बोर्ड ने अ०जा० एवं अ०ज०जा० के विकास के लिए योजनाएं बनाई हैं। रबड़ बोर्ड की योजनाओं के अंतर्गत रबड़ के बागान लगाने के इच्छुक अ०जा० और अ०ज०जा० को प्रति हेक्टेयर 8,000/- रु० की नकद सहायता, नाबार्ड से लिए गए ऋण के ब्याज पर 3% की सहायता, रोपने की सामग्री मुफ्त दिए जाने की सहायता, पहले तीन वर्षों में 1,000/- रु० की सीमा तक उर्वरक पर ज़ागत के 50% की सहायता, बाड़ का ढांचा बनाने के लिए वित्तीय सहायता, अ०जा०/अ०ज०जा० को रबड़ की सामूहिक खेती के लिए सहायता,

रबड़ निकालने का प्रशिक्षण देने आदि की योजनाएं हैं। काफी बोर्ड काफी की खेती करने वाले जनजातीय लोगों को 4% की दर पर चार प्रकार के ऋण देता है। ये चार सघन खेती के लिए दिया जाने वाला ऋण, पुनर्रोपण ऋण, विस्तृत खेती ऋण और विशेष प्रयोजन ऋण हैं।

4.35 आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि केन्द्रीय मंत्रालय अब अ०जा० और अ०ज०जा० के आर्थिक विकास के लिए विशिष्ट योजनाएं तैयार करने और उनके अंतर्गत पृथक निधियां निर्दिष्ट करने के विषय में अधिक सचेत होते जा रहे हैं। आयोग की सिफारिश है कि वे सभी मंत्रालय और विभाग जिन्हें अपनी एस०सी०पी० और टी०एस०पी० योजनाएं तैयार करनी हैं वे भी उपरोक्त मंत्रालयों का अनुसरण करें और ऐसे कार्यक्रम तैयार करें जिनसे इन समूहों को लाभ हो। इसके साथ ही केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को प्रत्येक एस०सी०पी० और टी०एस०पी० के अंतर्गत वित्तीय और भौतिक उपलब्धियों का परिवीक्षण करने की प्रणाली विकसित करनी चाहिए। आयोग की यह भी सिफारिश है कि केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपनी वार्षिक रिपोर्टों में, पदों पर और सेवाओं में अ०जा० और अ०ज०जा० के प्रतिनिधित्व के बारे में सूचना देने के अतिरिक्त, ऐसे कार्यक्रमों/योजनाओं का विवरण जो उन्होंने अ०जा० और अ०ज०जा० के कल्याण के लिए चलाई हो और उस अवधि में उनके अंतर्गत हुई भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का विवरण भी दें। निम्नलिखित सारणी में 1993-94 के दौरान केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से एस०सी०पी० के लिए दी गई निधियों का विवरण दिया गया है :

सारणी-12

(लाख रु० में)

क्र० सं०	मंत्रालय/विभाग	1993-94	
		कुल परिवय	एस०सी० पी० को दी गई निधि
1	2	3	4
1.	श्रम मंत्रालय	712.70	262.15
2.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)	60091.00	8944.00
3.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (जैव प्रौद्योगिकी विभाग)	8500.00	47.00
4.	उद्योग मंत्रालय (एस० एस० आई० एवं ए० आर०-आई० विभाग)		
	(1) कॉयर बोर्ड	635.00	148.16
	(2) डीसी, एस०एस०आई/ ए०आर०आई०	10375.00	1481.25
5.	वस्त्र मंत्रालय हथकरघा विकास आयुक्त	3720.00	876.71
6.	हस्तशिल्प विकास आयुक्त	4000.00	613.00
7.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
	(1) भारतीय तेल निगम आई०ओ०सी०		110.00
	(2) भारत पेट्रोलियम	54.5	28.60
	(3) कोचीन रिफाइनरी	6.00	6.00
	(4) स्टील अथारिटी ऑफ इन्डिया	53528.00	27.95
	(5) हिंदुस्तान पैट्रोलियम	45.10	15.00
	(6) बोगांव रिफाइनरी	120.00	17.30
	(7) लुब्रीजोल इंडिया	5.00	2.50
	(8) बालमेर लॉरी	8.50	5.30
	(9) आई०बी०पी०		
	(10) ओ०एन०जी०सी०	30.00	18.75
8.	महिला और बाल विकास विभाग	408.55	261.47
9.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	48330.00	2821.46
10.	वाणिज्य मंत्रालय	10758.00	597.00
11.	उर्वरक विभाग		
	(1) एन०एफ०एल०	0.58	0.38
	(2) एफ०ए०सी०टी०	176.24	6.19

स्रोत : कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1994-95

प्राप्त सूचना से प्रकट होता है कि 1993 के दौरान निम्नलिखित दस मंत्रालयों ने टी०एस०पी० तैयार की : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, मानव ससाधन विकास मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय; संचार मंत्रालय और श्रम मंत्रालय। निम्नलिखित सारणी में प्रत्येक मंत्रालय/विभाग से दी गई निधियों की सूचना दी गई है :

सारणी—13

(करोड़ रु० में)

क्र०सं० मंत्रालय/विभाग	1993-94		
	परिव्यय	टीएसपी	%
1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (केन्द्रीय स्वास्थ्य सेक्टर)	483.30	31.66	6.55
2. वाणिज्य मंत्रालय	79.61	5.75	7.22
3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	101.85	38.17	37.48
4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)	600.91	61.79	10.28
5. उद्योग मंत्रालय	241.66	57.87	23.95
6. ग्रामीण विकास मंत्रालय	5010.00	74.60 (जून 93 तक)	1.49
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	149.56	0.40	0.27
8. वस्त्र मंत्रालय	313.50	6.33	2.02
9. संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)	4833.14	188.36	3.90
10. श्रम मंत्रालय	7.04	1.03	14.65

स्रोत : कल्याण मंत्रालय की 1994-95 वार्षिक रिपोर्ट

गरीबी दूर करने के कार्यक्रम

4.37 समाज के गरीब वर्गों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए गरीबी निवारण के अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम दो वर्गों में आते हैं : एक का लक्ष्य ऋण और सहायता के द्वारा उत्पादक परिसम्पत्ति प्रदान करके गरीबों में स्वरोज़गार को बढ़ावा देना और दूसरे प्रकार के कार्यक्रमों का लक्ष्य रोज़गार सृजित करना और इस प्रक्रिया के दौरान सामुदायिक परिसम्पत्ति निर्मित करना है।

4.38 ग्रामीण आबादी के सबसे गरीब वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए देश में समन्वित ग्रामीण विकास योजना (आई०आर०डी०पी०) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के रूप में पहचाने गए परिवारों को आय उत्पादक परिसम्पत्ति अर्जित करने के लिए ऋण और सहायता दी जाती है। अ०जा० और अ०ज०जा० के संबंध में इस योजना का विशेष महत्व है क्योंकि जिन परिवारों को सहायता दी जाती है उनमें कम से कम 50% इन जातियों के होते हैं। 1993-94 वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 109543.00 लाख रु० की राशि आवंटित की गई जिसमें से 95664.95 लाख रु० (87%) का उपयोग किया गया। इस वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल लाभार्थियों में 35.97% अ०जा० और 17.05% अ०ज०जा० के परिवार थे। 1993-94 के दौरान आई०आर०डी०पी० के अन्तर्गत हुए कार्य का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

सारणी—14

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों की कुल सं०	अ०जा० परिवारों की सं०	अ०ज०-जा० परिवारों की सं०	अ०जा०/अ०ज०-जा० परिवारों का %
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	25967	107040	52829	61.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	15207	—	15207	100.00
3.	असम	63381	8797	16164	39.38
4.	बिहार	335908	108105	70168	53.07
5.	गोवा	3452	32	—	0.93
6.	गुजरात	79725	13236	27983	51.70
7.	हरियाणा	34026	16490	—	48.46
8.	हिमाचल प्रदेश	9128	3856	834	51.38
9.	जम्मू व कश्मीर	7408	1189	2231	46.17
10.	कर्नाटक	132861	41168	8936	37.72
11.	केरल	53698	24939	1969	50.11
12.	मध्य प्रदेश	242673	67002	92068	65.55
13.	महाराष्ट्र	217671	55345	36378	42.14
14.	मणिपुर	6333	75	4126	66.33
15.	मेघालय	2635	18	2617	100.00
16.	मिज़ोरम	4684	—	4684	100.00
17.	नागालैण्ड	5489	—	5489	100.00
18.	उड़ीसा	160000	43543	50246	58.61
19.	पंजाब	33736	17837	—	52.87
20.	राजस्थान	116567	41521	22315	54.76
21.	सिक्किम	1218	64	469	43.76
22.	तमिलनाडु	214888	99358	5306	48.71
23.	त्रिपुरा	16294	2712	5234	48.76
24.	उत्तर प्रदेश	445403	234092	2486	53.12
25.	पश्चिम बंगाल	73818	25959	4210	40.87
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1171	—	230	19.64
27.	दादरा एवं नागर हवेली	372	19	341	96.78
28.	दमण और दीव	507	33	133	32.74
29.	लक्षद्वीप	81	—	81	100.00
30.	पांडिचेरी	1407	508	—	36.11
	जोड़ :	2539441	912938	432734	53.0[illegible]

स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1994-95

4.39 आयोग की सिफारिश है कि असम, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि सहायता प्राप्त करने वाले कुल परिवारों में कम से कम 50% अ०जा० और अ०ज०जा० के परिवार हों।

4.40 किसी भी आर्थिक उद्यम को शुरू करने के लिए कौशल और उत्साहवर्धक योग्यता होना आवश्यक है। तथापि, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि ग्रामीण गरीबों में, विशेषकर अ०जा० और अ०ज०जा० में इस कौशल और योग्यता का अभाव होता है। इस बात को ध्यान में रखकर, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, अर्थात ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) 1979 से शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहचाने गए युवा को अपना ही उद्यम शुरू करने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करने के लिए किसी प्रशिक्षण संस्था में अथवा किसी कुशल कारीगर द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है और उद्यम शुरू करने के लिए आई०आर०डी०पी० के अन्तर्गत ऋण और सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार के कार्यक्रमों की सफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि प्रशिक्षण प्राप्त युवा अपने जीवन निर्वाह के लिए किस सीमा तक प्रशिक्षण का लाभ उठा पाते हैं। आयोग का विचार है कि व्यवसायों का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उनसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार वैतनिक काम और स्वरोजगार करके दोनों प्रकार से जीवन यापन करने की सम्भावना हो। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उन प्रशिक्षणार्थियों को, जो अपने उद्यम शुरू करना चाहते हैं, पूर्वापर संयोजनों के रूप में आधारभूत समर्थन देने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह भी निर्दिष्ट है कि इसके कम से कम 50% लाभार्थी अ०जा० और अ०ज०जा० के लोग हों। 1993-94 के दौरान, प्रशिक्षित किए गए 3,03,821 युवाओं में अ०जा० और अ०ज०जा० की संख्या 1,45,298 थी जो लगभग 48% बनती है।

4.41 जवाहर रोज़गार योजना (जे०आर०वाई) पहले के दो मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों--राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारण्टी कार्यक्रम--का विलय करके 1989 में शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के पिछड़े ज़िलों में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 90 से 100 दिन का मज़दूरी रोज़गार दिलाना है। 1993-94 में इस कार्यक्रम में कुछ संशोधन किए गए और इसका कार्यान्वयन तीन संयोजनों में किया गया। पहली धारा में दो योजनाओं अर्थात् इन्दिरा आवास योजना और दस लाख कूओं की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। दूसरी धारा में, 120 पहचाने गए पिछड़े ज़िलों में सघन जवाहर रोज़गार योजना (जे०आर०वाई०) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तीसरी धारा के अन्तर्गत विशेष नूतन परियोजनाएं शुरू की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार 80% वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और शेष की पूर्ति सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ज़िला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं और ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है। ग्राम स्तर पर एक समिति होती है जो यह तय करती है कि कार्यक्रम का कार्यान्वयन किस प्रकार किया जाएगा और इस समिति में अ०जा० और अ०ज०जा० का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है।

4.42 1989-90 से 1993-94 तक की अवधि में 43323.84 लाख कार्य दिवस सृजित कराने का लक्ष्य था और वास्तव में 42825.94 लाख कार्य दिवस (98.54%) सृजित कराए गए। इसमें से इस अवधि में अ०जा० और अ०ज०जा० का हिस्सा क्रमश: 37.48% और 18.12% था। ''दस लाख कुंआ योजना'' के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त किसानों तथा मुक्त किए गए बन्धुआ मज़दूरों को सिंचाई कुएं उपलब्ध कराए गए। पहले, यह योजना केवल अ०जा० और अ०ज०जा० तथा मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के लिए थी लेकिन 1993-94 से गैर अ०जा० तथा गैर-अ०ज०जा० के छोटे और सीमान्त किसानों को भी उसके अन्तर्गत शामिल किया जा रहा है। इसी प्रकार इन्दिरा आवास योजना, जो शुरू में अनु०जाति तथा अनु०जनजाति और मुक्त किए गए बन्धुआ मज़दूरों के लिए थी, उसका 1993-94 से गैर अनु० जाति तथा गैर अनु० जनजाति गरीबों तक विस्तार कर दिया गया। तथापि, आयोग को यह जानकर खेद हुआ कि ''दस लाख कुंआ योजना'' के अन्तर्गत 1992-93 में निर्मित किए गए 1,80,995 कुओं की तुलना में, 1993-94 में निर्मित कुओं की संख्या 1,49,335 थी--इस प्रकार भौतिक उपलब्धि में लगभग 17.50% की कमी आई है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कार्य संतोषजनक हुआ है। 1992-93 के दौरान निर्मित 1,92,585 मकानों की तुलना में 1993-94 में 3,59,933 मकान बनाए गए--इस प्रकार, लगभग 87% की वृद्धि हुई। मज़दूरी रोज़गार दिलाने की दृष्टि से और सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से भी इन योजनाओं के महत्व को देखते हुए आयोग चाहता है कि इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत उपलब्धि में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए और ''दस लाख कुआं योजना'' के अन्तर्गत उपलब्धि को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए।

4.43 एक अन्य मज़दूरी रोज़गार योजना 1993 में शुरू की गई थी। रोज़गार आश्वासन योजना (ई०ए०ए०एस०) देश के 1,778 पिछड़े ब्लाकों में कार्यान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोज़गार तलाश करने वाले 18 वर्ष की आयु से ऊपर और 60 वर्ष की आयु से नीचे के ग्रामीण गरीबों को 100 दिन के लिए हाथ से करने वाला अकुशल रोजगार दिलाया जाता है। 1993-94 की अवधि में इस योजना के अन्तर्गत 261 जिलों को शामिल किया गया और 494.74 लाख कार्य दिवस का रोज़गार दिलाया गया। **आयोग की सिफ़ारिश है कि इस योजना के अन्तर्गत भी अ०जा० और अ०ज०जा० को लाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि ग्रामीण गरीबों में अधिकांश उनकी संख्या है।**

4.44 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का विचार है कि अ०जा० और अ०ज०जा० के आर्थिक विकास की दृष्टि से रोज़गार सृजन के कार्यक्रमों का सर्वाधिक महत्व है। वर्तमान स्थिति में इन कार्यक्रमों के विशेष लाभ हैं क्योंकि उन्हें क्रय शक्ति मिलने से उनकी दूसरों पर आर्थिक निर्भरता कम हो जाएगी और साथ ही काम की तलाश में शहरी क्षेत्रों में उनका जाना भी रुक जाएगा। निर्मित की गई सामुदायिक परिसम्पत्तियां ग्रामीण निर्धनों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगी। दूसरे, काम की मन्दी के दिनों में रोज़गार का आश्वासन होने से उनका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ेगा और उनकी दुर्बलता कम होगी। **गरीबी निवारण के सभी कार्यक्रमों की सफलता का सार यही है कि जो सबसे ज्यादा गरीब है उसकी समुचित पहचान की जाए और आयोग की सिफ़ारिश है कि इस ओर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए तथा सावधानी बरती जानी चाहिए।**

4.45 संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार की सेवाएं विकसित करने और इन क्षेत्रों के प्रति विशेष ध्यान देने

योग्य क्षेत्रों के रूप में सुनिश्चित करने की दिशा में क़दम उठाए हैं। 1993-94 के दौरान टी०एस०पी० के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय 173.68 करोड़ रु० (जिसका संशोधित प्राक्कलन 256.48 करोड़ रु०) तथा और वास्तविक व्यय 190.15 करोड़ रु० था। 1993-94 के दौरान टी०एस०पी० के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित विवरण में दिया गया है :—

क्र०सं०	मद	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	टेलीफ़ोन एक्सचेंज(I)	81	174
2.	स्विचिंग क्षमता (लाइन)	62,600	89,949
3.	सीधा एक्सचेंज लाइन (संख्या-I)	47,000	63,457
4	यू०एच०एफ० योजनाएं (रूट-कि०मी०)	3,500	900
5.	ग्राम पंचायत टेलीफोन (संख्या)	3,150	4,095
6.	टैलेक्स क्षमता	200	15
7.	उपग्रह पृथ्वी स्टेशन	2	2

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 1994-95
दूरसंचार विभाग,
संचार मन्त्रालय